

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/13  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00010  
CICOM/R/2018/01168

दिनांक: 14.01.2019

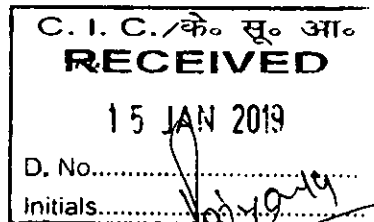
अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,  
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,  
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,  
बिहार - 851112.

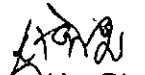
निर्णय की तारीख: 14.01.2019

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 30.11.2018                                       |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 17.12.2018, 19.12.2018                           |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री एस. सी. शर्मा, श्री टी. वी. जे. एस. राजप्पा |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 07.01.2019                                       |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 23/14.01.2019 (7403/10.01.2019)                  |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सात बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में संयुक्त सचिव (प्र०) से सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता लेकर श्री टी. वी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 5, 6 एवं 7 से संबंधित प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचनाएं श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01168 के माध्यम से दिनांक 17.12.2018 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है।
3. अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5, 6 एवं 7 के संदर्भ में संयुक्त सचिव (प्र०) से सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता लेकर श्री टी. वी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01168 के माध्यम से दिनांक 19.12.2018 को सूचना प्रेषित की गई है।
4. श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री टी. वी. जे. एस. राजप्पा, दोनों केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान गई सूचनाएं विलकुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
5. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

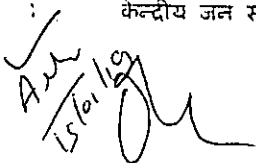
संलग्नक - यथोपरि।



  
(आर. के. सिंह)  
अपर सचिव एवं  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि .

: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

  
15/01/19